सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 04, सोमवार, *शाके* 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(खण्ड-कुचामन सिटी)

अधिसूचना

जयपुर, **मई 19**, 2026

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

Rajkaj Ref : 22298528 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार डीडवाना-कुचामन जिले में कुचामन सिटी रिंग रोड़ निर्माण परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार परियोजना प्रभावित गावों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व गांव	सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड़ अधिकारी
1	डीडवाना-कुचामन	कुचामन सिटी	असनपुरा	उपखण्ड़ अधिकारी, कुचामन सिटी
2	डीडवाना-कुचामन	कुचामन सिटी	उगरपुरा	
3	डीडवाना-कुचामन	कुचामन सिटी	भंवरपुरा	
4	डीडवाना-कुचामन	कुचामन सिटी	आशपुरा	

उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-कुचामन सिटी द्वारा **"वंश कंसलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713"** एजेन्सी का चयन किया गया हैं। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गावों में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गावों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड़-कुचामन सिटी (राजस्थान) 341508

फोन नं. +91-9929016881

ई-मेलः kuchmanpwd@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

वंश कंसलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713

प्रतिनिधि: अमित कुमार, मोबाईलः 9694916630

ई-मेलः vanshconsultancy26@gmail.com

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।